कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

आदेश संख्याः 102 /2020
दिनांकः 14.08.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1091/IV-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 05.05.2020,1093/IV-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 07.05.2020,1108/ LXXXVII- CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 20.05.020, 1117/ LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad दिनांकित 03.06.2020, 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 16.07.2020 एवं 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad दिनांकित 28.07.2020 के माध्यम से लॉक डाउन के दौरान व उसके पश्चात की अवधि में जनपद न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई द्वारा अपने पत्र सं0 617/ओ0एस०डी० –कोविड–19 दिनांकित 14.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि मुहल्ला पटेल नगर (गोविन्द स्वीट हाउस की पीछे व इसके आस पास) में पिछले 14 दिनों में कोई भी केस न पाये जाने के कारण कालपी बस स्टैड से जिला न्यायालय होते हुए होटल दीपशिखा तक के क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन की श्रेणी से विमुक्त कर दिया गया है। इसलिए जिला न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर मय सेशन हाउस भी कन्टेमेंट जोन की परिधि से बाहर आ गये हैं।

जिलाधिकारी की उक्त आख्यानुसार जिला न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर एवं उरई स्थित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर कन्टेमेंट जोन के अधीन नहीं है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्राकों में दिये गये निर्देशों को अंगीकृत करते हुए जिला न्यायालय में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की साफ सफाई व सेनेटाइजेशन के उपरान्त से जिला न्यायालय से सम्बन्धित मुख्यालय उरई पर स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 17.08.2020 से न्यायिक कार्य सम्पादित किया जायेगा।

सभी पीठासीन अधिकारियों एवं सभी कर्मचारीगण को आदेशित किया जाता है कि वह कोविड-19 के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यायिक दिशा में तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारा द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी नजारत, केन्द्रीय नाजिर एवं कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय खोले जाने से पूर्व एवं तदोपरान्त प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने पर्यवेक्षण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की साफ सफाई व सेनेटाइजेशन जिला प्रशासन, अन्य प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से सुनिश्चित करावें।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिऐशन उरई, जिला कारागार एवं समस्त पीठासीन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं सम्यक् अनुपालनार्थ तथा जिला सूचना अधिकारी को जन-सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये। एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, एक प्रति CPC उच्च न्यायालय के वेव लिंक एवं जनपद न्यायालय की वेवसाइट पर अप-लोड की जाए।

(अशोक कुमार सिंह) 14/8
जनपद न्यायाधीश
जालौन स्थान उरई।

14.08.2020
District Judge
Jalaun at Orai